



2026:AHC:56453

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस
संख्या- 1994/2026**

सत्यवीर

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपरीत पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	आदित्य यादव, आर्यन यादव
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	जी ए

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री आर्यन यादव और राज्य के विद्वान एजीए श्री आशीष कुमार त्रिपाठी की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह आवेदन उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के तहत केस क्राइम संख्या 0371/2025 में अग्रिम जमानत की मांग

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते हुए दायर किया गया है, जिसमें पुलिस स्टेशन कासगंज, जिला कासगंज में यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वह गिरोह चार्ट में उल्लिखित एक मामले में जमानत पर है। उस मामले के अलावा, याचिकाकर्ता सात अन्य मामलों में जमानत पर है और आठवें मामले में उसे बरी कर दिया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी रामदास को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.11.2025 के आदेश के तहत अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 8175/2025 में अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। याचिकाकर्ता मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होने का वचन देता है और यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक गिरोह चार्ट में उल्लिखित एक मामले में जमानत पर है। उस मामले के अलावा, आवेदक सात मामलों में जमानत



पर है और आठवें मामले में भी जमानत पर है। इस मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। सह-आरोपी रामदास को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी के पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अग्रिम जमानत से संबंधित कानून के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के विद्वान अधिवक्तों की दलीलों, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका पर विचार करते हुए और गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

10. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए आवेदक सत्यवीर की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के



अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और संबंधित न्यायालय द्वारा छूट दिए जाने तक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा और किसी भी अनुचित स्थगन की मांग नहीं करेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है।

11. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए अभियोजन पक्ष को उचित आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

18 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**